



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226333
CG-DL-E-01042021-226333

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1324]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943

No. 1324]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

का.आ. 1429(अ).—सार्वजनिक स्थल (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारी, जो भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियों के संबंध में अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्:

तालिका

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसर की श्रेणियां तथा अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
	(1)	(2)
1.	नवीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एनटीपीसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी), नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, शिवानपुर, पोस्ट अंकोराह आरएस, जिला औरंगाबाद, बिहार-824303 के लिए संपदा	नवीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एनटीपीसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) से संबंधित या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए और नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, शिवानपुर, पोस्ट अंकोराह आरएस, जिला औरंगाबाद, बिहार-824303 के प्रशासनिक नियंत्रण

अधिकारी के रूप में "अनुभाग प्रमुख (कर्मचारी सेवा/प्रशासन)"	के अंतर्गत आने वाले सभी परिसर।
--	--------------------------------

[फा. सं. 19/32/2015-थर्मल-1)]

विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th March, 2021

S.O. 1429(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officer equivalent to the rank of Gazetted Officer in the Government of India, to be Estate Officer for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table, namely:-

TABLE

S.No.	Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
	(1)	(2)
1.	“Sectional Head (Employee Services/Administration)” as Estate Officer for Nabinagar Power Generating Company Limited (Wholly owned subsidiary of NTPC Ltd.), Nabinagar Super Thermal Power Project, Shivanpur, Post Ankoraha RS, District Aurangabad, Bihar-824303	All premises belonging to or taken on lease by Nabinagar Power Generating Company Limited (Wholly owned subsidiary of NTPC Ltd.) and under the administrative control of its Nabinagar Super Thermal Power Project, Shivanpur, Post Ankoraha RS, District Aurangabad, Bihar-824303

[F. No. 19/32/2015-Th.I]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Add. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

का.आ. 1430(अ).—सार्वजनिक स्थल (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारी, जो भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियों के संबंध में अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्:

तालिका

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसर की श्रेणियां तथा अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
	(1)	(2)
1.	ईआर-II-मुख्यालय, एनटीपीसी लिमिटेड, प्लॉट नं. एन-17, ओएलआईसी बिल्डिंग, तीसरा, चौथा व पांचवां तल, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751012, जिला खोरदा, ओडिशा के लिए संपदा अधिकारी के रूप में	एनटीपीसी लिमिटेड, पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय से संबंधित या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए और एनटीपीसीईआर-II-मुख्यालय, भुवनेश्वर, ओएलआईसी बिल्डिंग, तीसरा, चौथा व पांचवां तल, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751012,

"अनुभाग प्रमुख (कर्मचारी सेवा/प्रशासन)"	जिला खोरदा, ओडिशा के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी परिसर।
---	--

[फा. सं. 19/32/2015-थर्मल-1]

विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2021

S.O. 1430(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officer equivalent to the rank of Gazetted Officer in the Government of India, to be Estate Officer for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
	(1)	(2)
1.	“Sectional Head (Employee Services/Administration)” as Estate Officer for ERII-HQ, NTPC Limited, Plot No. N-17, OLIC Building, 3 rd , 4 th & 5 th Floor Nayapalli, Bhubaneswar-751012, District Khorda, Odisha	All premises belonging to or taken on lease by NTPC Limited, Eastern Region-II Head Quarter and under the administrative control of its NTPC ERII-HQ, Bhubaneswar, OLIC Building, 3 rd , 4 th & 5 th Floor Nayapalli, Bhubaneswar-751012, District Khorda, Odisha

[F. No. 19/32/2015-Th.I]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Add. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

का.आ. 1431(अ).—सार्वजनिक स्थल (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारी, जो भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियों के संबंध में अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्:

तालिका

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसर की श्रेणियां तथा अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
	(1)	(2)
1.	एनटीपीसी लिमिटेड, डब्ल्यूआर-1 मुख्यालय, समृद्धि वेंचर पार्क, द्वितीय तल, एमआईडीसी, अंधेरी ईस्ट, मुंबई के लिए संपदा अधिकारी के रूप में "अनुभाग	एनटीपीसी लिमिटेड से संबंधित या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए और पश्चिमी क्षेत्र-1 मुख्यालय, समृद्धि वेंचर पार्क, द्वितीय तल, एमआईडीसी, अंधेरी ईस्ट, मुंबई के प्रशासनिक

प्रमुख (कर्मचारी सेवा/प्रशासन)"	नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी परिसर।
---------------------------------	---

[फा. सं. 19/32/2015-थर्मल-1]

विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2021

S.O. 1431(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officer equivalent to the rank of Gazetted Officer in the Government of India, to be Estate Officer for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
	(1)	(2)
1.	“Sectional Head (Employee Services/Administration)” as Estate Officer for NTPC Limited, WR-I HQ, Samruddhi Venture Park, 2 nd Floor, MIDC, Andheri East, Mumbai	All premises belonging to or taken on lease by NTPC Limited and under the administrative control of Western Region-I Head Quarter, Samruddhi Venture Park, 2 nd Floor, MIDC, Andheri East, Mumbai

[F. No. 19/32/2015-Th.I]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Add. Secy.